कार्यालय नगर निगम अयोध्या
आदेश

पत्रांक-~~444~~ 2164 / एस०टी० / न०आ० / 2018-19 / दिनांक 29 दिसम्बर 2018

मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन उ०प्र० शासन लखनऊ के पत्रसंख्या -786 / तीन 18 [illegible] (9) / 18 दिनांक 12 10.2018 तथा उत्तर प्रदेश सोसाइटी हेल्थ एसोसिएशन (यू०पी०वी०एच०ए०) लखनऊ के [illegible] समन्वयक के द्वारा जारी पत्र संख्या यूपीवीएचए / टी.सी.पी / 2018 दिनांक 04.11.2018 के द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी नगर निगम / स्थानीय निकायो मे वेन्डर लाईसेसिंग प्राविधान लागू करने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के जनपदो मे सिगरेट एव अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कार्य कर रहा है।

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 में प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम कोटपा 2003 खाद्य संरक्षण अधिनियम 2006 एवं बाल विकास मंत्रालय का किशोर न्याय बाल देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 का उल्लंघन करेगे साथ ही जनहित मे प्रदेश के तम्बाकू उत्पाद विनिर्माण विपणन भण्डारण पैकिंग प्रसस्करण एवं सफाई आदि कार्य बिना लाइसेंस अथवा अनुमति के प्रतिबन्धित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध मे विदित है कि लगभग 20 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश मे 530 करोड़ वयस्क लोग किसी न किसी रूप में तम्बाकू का सेवन करते है (52 प्रतिशत पुरूष महिलाए धुम्रपान एवं तम्बाकू सेवन से लोगो मे कैसर तथा अन्य गम्भीर बीमारियां एवं अकाल मृत्यु / अपगता पायी जा रही है।) इसके अतिरिक्त जहाँ एक तरफ बीमार व्यक्ति के उपचार मे उसके परिवार को आर्थिक कठिनाइया का सामना करना पडता है वो वही दूसरी तरफ सरकार को विभिन्न विकास कार्यो के लिए प्रावधानित किये गए धनराशि को बीमार [illegible] आर्थिक सहायता के रूप मे खर्च करना पडता है। जिसके कारण प्रदेश वासियो का विकास प्रभावित होता [illegible] तम्बाकू जनित गम्भीर बीमारियो से प्रतिवर्ष 12 लाख लोगो की मृत्यु होती है जो कि एक गम्भीर चिंता का [illegible] वर्ष 2010 एवं 2016 के वैश्यिक वयस्क तम्बाकू सर्वेक्षण (GATS) के तुलनात्मक अध्ययन से पता चला है [illegible] तम्बाकू सेवन करने वालो की संख्या में 6 प्रतिशत की कमी आयी है। किन्तु उत्तर प्रदेश मे तम्बाकू [illegible] की संख्या मे 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो कि अधिक आबादी वाले प्रदेश के लिए अत्यधिक चिंता [illegible]

अयोध्या शहर प्रदेश के अधिक आबादी वाले शहरो में से एक है जहाँ [illegible] का अधिक लोगो द्वारा सेवन तो किया ही जाता है। साथ ही यहाँ पर उसका निर्माण आयात एव बिक्री [illegible] जिससे लोगो मे पैदा होती गम्भीर बीमारियो के मद्देनजर नियंत्रण एव रोकथाम करना अति आवश्यक [illegible]

भारत सरकार द्वारा तम्बाकू के उपयोग का नियंत्रित कर इससे होने वाली बीमारियो से लोगो को बचाने के उद्देश्य से सिगरेट और अन्य तम्बाकू विज्ञापन का प्रतिशेध और व्यापार तथा वाणिज्य [illegible] प्रदाय और वितरण का विनियमन (कोटपा 2003) लागू किया गया है। सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा 2003) के माध्यम से अवयस्को कम उम्र के युवाओ एवं जन समूह द्वारा तम्बाकू उत्पाद व उपयोग को रोकने तम्बाकू की हानि कारक लत से बचाने तथा उत्पादो के प्रचार-प्रसार पर प्रतिबन्ध लगाना है।

अवयस्को एवं कम उम्र के बच्चो को तम्बाकू उत्पादो की उपलब्धता पर अकुश लगाने के उद्देष्य से स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या D.O.NO.P-16012/14/2017-TC, दिनांक 21 सितम्बर 2017 के समय से सूचित किया गया है कि तम्बाकू उत्पाद के विक्रय करने वाले दुकानो पर टॉफी, कैडी, चिप्स, बिस्कुट पेय पदार्थ इत्यादि की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाया जाना है। साथ ही तम्बाकू उत्पादो के व्यापारिक दुकानदारो को नगर निगम या स्थानीय निकायों से लाइसेंस / अनुज्ञप्ति / अनुमति प्राप्त कर इसका विक्रय करने का सुझाव दिया है।

विदित हो कि अवयस्को एवं किशोरो को तम्बाकू से दूर रोकने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का किशोर न्याय (बाल देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 के अनुसार 15 साल से कम उम्र के बच्चे को किसी प्रकार का मादक / नशीला पदार्थ तम्बाकू उत्पाद बेचने पर 7 साल की कैद एवं 1 लाख रूपये तक के जुर्माना का प्रावधान है।

मानव उपभोग के लिए सुरक्षित एवं पौष्टिक आहार की उपलब्धता सुनिष्चित करने तथा साथ ही किसी खाद्य उत्पाद के घटक के तौर पर तम्बाकू एवं निकोटीन का उपयोग प्रतिबन्धित करने के लिए खाद्य सुरक्षा एव मानव अधिनियम 2006 पारित किया गया है। तम्बाकू उत्पादो के हानिकारक प्रभावो को देखते हुए कई राज्य सरकारो द्वारा

अपने सम्बन्धित नगर पालिका अधिनियम एवं विनियम के अन्तर्गत तम्बाकू उत्पादो के भण्डारण प्रसंस्करण तथा विक्रय को खतरनाक एव आक्रामक व्यापार के तौर पर सूचीबद्ध किया गया है।

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 2 (46) के अन्तर्गत लोगो के स्वास्थ्य पर खतरनाक एव जानलेवा प्रभाव डालने के कारण तम्बाकू से बने उत्पाद अपदूषण है। इस अधिनियम की धारा 114 (xii एव xix) के अन्तर्गत संसर्गिक संक्रामक एवं खतरनाक बीमारियो की रोकथाम एवं नियंत्रण तथा आपत्तिजनक एव खतरनाक किस्म के व्यापारो आजीविका एवं कार्यो का विनयमन तथा उनको समाप्त किय जाने के लिए सांविधिक एव आवश्यक प्रावधान बनाने की अयोध्या नगर निगम का अनिवार्य कर्तव्य है। इसी अधिनियम की धारा 437 के अन्तर्गत नगर निगम की सीमा के अंदर किसी भवन या भूमि मे सार्वजनिक अपदुषण पैदा करने वाले वस्तु का निर्माण संग्रह व्यवहार या निस्तारण के लिए को नगर आयुक्त रोक सकता है और धारा 438 के अन्तर्गत बिना नगर आयुक्त द्वारा निर्गत अनुज्ञप्ति के अधीन तथा उसके निबन्धनो और शर्तो के अनुकूल कोई व्यक्ति किसी भू–गृहादी मे या उसके ऊपर कोई ऐसा व्यापार या कार्य जो जीवन स्वास्थ्य या सम्पत्ति के लिए खतरनाक हो, न सम्पादित करेगा और नही सम्पादित करने की अनुज्ञा देगा।

नगर निगम के संज्ञान में आया है कि अयोध्या शहर के विभिन्न दुकानो/भवनो/परिसरो में तम्बाकू उत्पाद का निर्माण एवं बिक्री बिना किसी अनुज्ञप्ति अथवा अनुमति के ही की जा रही है। जो कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 का उल्लंघन है।

अतः उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 मे प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जनहित में किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद का विनिर्माण (किसी भी विधि द्वारा) विपणन, भण्डारण, पैकिंग, प्रसंस्करण एवं सफाई अयोध्या नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत बिना लाइसेंस/अनुज्ञप्ति अथवा अनुमति के प्रतिबंधित है साथ ही लाइसेंस/अनुज्ञप्तिधारक तम्बाकू विक्रेता उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 का सख्ती से पालन करते हुए सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) 2003 खाद्य संरक्षण अधिनियम 2006 एव बाल विकास मंत्रालय का किशोर न्याय (बाल देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 का उल्लंघन नही करेगे। तथा तम्बाकू उत्पाद की दुकानो पर टॉफी,कैंडी, चिप्स, बिस्कुट पेय पदार्थ इत्यादि की बिक्री नही करेगे।

यदि कोई व्यापारी/दुकानदार/व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ उपर्युक्त कानून के अनुरूप दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।

यह आदेश नगर निगम अयोध्या के सम्पूर्ण क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा इसका उल्लंघन उपरोक्त अधिनियमों में वर्णित रीति से दण्डनीय होगा।

28.12.18.

नगर आयुक्त
नगर निगम अयोध्या।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ।
2. संयुक्त निदेशक/राज्य नोडल अधिकारी, राज्य तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम लखनऊ उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त को प्रर्वतन कार्यवाही की मानिटरिंग हेतु ।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी नगर निगम अयोध्या ।
5. नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम अयोध्या को प्रर्वतन हेतु ।
6. समस्त जोनल अधिकारी नगर निगम अयोध्या को प्रर्वतन हेतु।
7. क्षेत्राय समन्वयक उ0प्र0 वॉलण्टरी हेल्थ एसोसिएशन 5/459 विराम खण्ड गोमती नगर लखनऊ को सूचनार्थ।

नगर आयुक्त
नगर निगम अयोध्या